पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना कारपोरेशन

Letter No. / पत्रांक: 976

Date / दिनांक: 25-01-2019

सेवा में,

1. श्री गनौरी सिंह,
पिता–स्व0 द्वारिका सिंह,
पता–रामकृष्णा नगर
पटना,बिहार।

2. **अभियंता, श्री राजेश कुमार, निबंधन सं0–AR/60/15**
पटना नगर निगम।

विषय :– **प्लॉन केस सं0– P/ Jaganpura-PRN-G+4/07/2018 के निबंधित वास्तुविद/ अभियंता के द्वारा अतिरिक्त भू–पट्टी हेतु 16.45 वर्ग मीटर भू–पट्टी छोड़कर स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक के अनुपालन में सूचित करना है कि भू–स्वामी/ भवन निर्माणकर्त्ता के द्वारा Construction के दौरान (सड़क चौड़ीकरण/ अतिरिक्त भू–पट्टी हेतु 16.45 वर्ग मीटर) भू–पट्टी छोड़ कर हीं निर्माण करेंगे एवं इस आशय की लिखित सूचना विभाग को देंगे, साथ हीं कार्य प्रारंभ करने की सूचना भवन उपविधि 2014 के Form-X (Form of Notice for Commencement of Work) BYE LAWS No.- 8 (6) (F), 10 के अनुरूप समर्पित की जाय।

अतः निबंधित वास्तुविद/ अभियंता ये सुनिश्चित करेंगे कि Construction के दौरान अतिरिक्त भू–पट्टी हेतु 16.45 वर्ग मीटर भू–पट्टी छोड़कर हीं निर्माण किया जा रहा है। भवन उपविधि के अनुसार Form-V में दिये गये प्रावधानों को लागू करना सुनिश्चित करेंगे तथा भवन उपविधि–14 एवं महायोजना 2031 के उल्लंघन में आवेदक तथा निबंधित वास्तुविद/अभियंता किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे एवं भवन उपविधि 2014 के कंडिका 13(2) के अनुसार आवधिक प्रतिवेदन लिखित तौर पर प्रपत्र–XI में जमा करना संबंधित वास्तुविद/ अभियंता के द्वारा आवश्यक होगा। साथ हीं निर्माण के समय अधोहस्ताक्षरी तथा संबंधित प्रारूपक/ कनीय अभियंता से समय–समय पर समन्वय स्थापित कर स्थल दिखाना आवेदक तथा वास्तुविद/ अभियंता की जिम्मेवारी होगी। किसी भी प्रकार की भवन उपविधि में लापरवाही/ उल्लंघन के लिये आवेदक एवं निबंधित वास्तुविद/ अभियंता जिम्मेवार होंगे और विधि सम्मत प्रशासनिक कार्रवाई के पात्र होंगे।

कृपया इसे अति महत्वपूर्ण समझा जाय।

विश्वासभाजन,

19/01/19

उप निदेशक, शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

Green Homes Properties Pvt. Ltd.
Director